तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 669/2024 सरीफो बनाम तहसीलदार बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/01/25		

आदेश

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की खातेदारी की भूमि मौजा मलवा पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 211/62 रकबा 8.9031 हैक्टयर खसरा संख्या 24 रकबा 8.9031 हैक्टयर, खसरा संख्या 5 रकबा 7.8266 हैक्टयर कुल रकबा 25.6328 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थीनी के नाम के साथ उसके पूर्व पति का नाम ताजू खां दर्ज है। प्रार्थीनी का निकाह ताजु खां के साथ करीबन 40 वर्ष पहले हुआ था प्रार्थीनी मुस्लिम कोम से होने के कारण प्रार्थीनी का पूर्व पति का स्वर्गवास होने के कारण दुसरा निकाह फोटो खां उर्फ फोटाराम के साथ कर दिया गया। राजस्व अभिलेख अशुद्ध होने के कारण प्रार्थीनी का राजकीय सहायता प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मलवा पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 211/62 रकबा 8.9031 हैक्टयर खसरा संख्या 24 रकबा 8.9031 हैक्टयर, खसरा संख्या 5 रकबा 7.8266 हैक्टयर कुल रकबा 25.6328 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीनी के पति का नाम ताजू खां के स्थान पर दुरूस्त कर फोटोखां उर्फ फोटाराम दर्ज करवाने का आदेश फरमावें।

वकील अप्रार्थी संया 02 से 08 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की खातेदारी की भूमि मौजा मलवा पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 211/62 रकबा 8.9031 हैक्टयर खसरा संख्या 24 रकबा 8.9031 हैक्टयर, खसरा संख्या 5 रकबा 7.8266 हैक्टयर कुल रकबा 25.6328 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थीनी के नाम के साथ उसके पूर्व पति का नाम ताजू खां दर्ज है। प्रार्थीनी का निकाह ताजु खां के साथ करीबन 40 वर्ष पहले हुआ था प्रार्थीनी मुस्लिम कोम से होने के कारण प्रार्थीनी का पूर्व पति का स्वर्गवास होने के कारण दुसरा निकाह फोटो खां उर्फ फोटाराम के साथ कर दिया गया। राजस्व अभिलेख अशुद्ध होने के कारण प्रार्थीनी का राजकीय सहायता प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 08 की संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 669/2024 सरीफो बनाम तहसीलदार बाड़मेर

खातेदारी की भूमि मौजा मलवा पटवार हल्का दूदाबेरी तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 211/62 रकबा 8.9031 हैक्टयर खसरा संख्या 24 रकबा 8.9031 हैक्टयर, खसरा संख्या 5 रकबा 7.8266 हैक्टयर कुल रकबा 25.6328 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीनी के पति का नाम ताजू खां के स्थान पर दुरूस्त कर फोटोखां उर्फ फोटाराम दर्ज शुद्ध किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय ग्राम पंचायत दूदाबेरी पंचायत समिति बाडमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके तहत राजस्व अभिलेख में शुद्धिकरण किया जाता है परन्तु नाम परिवर्तन या मृतक के नाम के स्थान पर किसी अन्य का नाम खातेदारी में अंकित किया जाने का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। तहसीलदार बाडमेर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित है कि फोटा खां व ताजु खां दोनों अलग–अलग व्यक्ति है। लिजाहा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत राजस्व अभिलेख में शुद्धिकरण के तहत नही होने से खरिज योग्य है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) .../01/25

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर